डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान बलवीरसिंह बनाम राज. सरकार

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 187/2022

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दद्व व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 833 रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम रैना तहसील नदबई मे से वादीगणो को जमाबंन्दी के हिस्से अनुसार कुल 54/91 हिस्से का गैर खातेदारी के अंकन को कलमजन किया जाकर पर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15.07.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— (signature) 15/7/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(signature) 15/7/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:55:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1. बलवीर सिंह पुत्र मुंशी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/1. विश्वेन्द्र पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. पवन पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. जगदीश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. देशराज पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/5. श्रीमती पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/6. राजवती पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/7. पुष्पा पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/8. रूकमणी पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/9. प्रेमवती पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. भरतसिंह पुत्र किरोडी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. कमल सिंह पुत्र मुंशी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. गंगादेवी पुत्री मुंशी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. जमुना देवी पुत्री मुंशी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

15/7/24

सहायक कलक्टर
नदबई जिला...

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:55:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 187/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/353
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 15.07.2024

1. बलवीर सिंह पुत्र मुंशी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/1. विश्वेन्द्र पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. पवन पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. जगदीश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. देशराज पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/5. श्रीमती पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/6. राजवती पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/7. पुष्पा पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/8. रूकमणी पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1/9. प्रेमवती पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. भरतसिंह पुत्र किरोडी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदवई जिला भरतपुर।
3. कमल सिंह पुत्र मुंशी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. गंगादेवी पुत्री मुंशी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. जमुना देवी पुत्री मुंशी जाति जाट निवासी खटौटी तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:55:34 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई

15/7/24

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी

उपस्थित श्री उदित कटारा एड.(वादी की ओर से)

पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188आर.टी.ए.

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति है कोई भी सख्त नाबालिग नही है। अन्य गैर खातेदारों से कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।
2. यह कि हाल जमाबंदी संवत 2079 की खाता संख्या 194 के आराजी खसरा नंबर 833 रकबा 0.74 वाके ग्राम रैना तहसील नदबई में स्थित है जो हाल खसरा नंबरान के मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से पूर्व खसरा नंबर 577 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा से बनाया गया है व मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 से पूर्व आराजी खसरा नंबर 534/422 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 421 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा से बनाए गए हैं।
3. यह कि वादपत्र में दर्ज सजरा अंकित किया हुआ है।
4. यह है कि वादपत्र की मद संख्या 02 की आराजी वादी के बाबा किरोड़ी की खातेदारी की खुदकाश्त आराजी थी जो संवत 2011 लगायत 2021 के रिकार्ड से बखूबी साबित है परन्तु भूप्रबंधक विभाग संवत 2028 के राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गेर खातेदार दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड में कर दिया गया जबकि भू प्रबंधक विभाग संवत 2028 को किसी की खातेदारी को कलमजन करने का अधिकारी नहीं था इसलिए हाल रिकार्ड में हो हरे इन्द्राजात गैर खातेदार को कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
5. यह है कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर अपना जबावदावा पेश किया गया तथा अपने जबाव दावा में अंकित किया कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम रैना में स्थित है तथा वादपत्र में वर्णित आराजीयात तथा साबिक रिकार्ड की रोशनी में काबिल गौर अदालत है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई अन्य कथन अस्वीकार है तथा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:55:34 IST
Reason: SelfAttested

15/7/24

Scanned with CamScanner

वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी सं. 1 पैरोकार सरकार के जबाब दावा के अभिवचनों के आधार पर निम्नानंकित तनकीयात कायम की गई जो कि इस प्रकार हैं :-

1. आया वादी विवादित आराजीयात वादपत्र मद संख्या 02 की आराजी वादी के पिता व बाबा की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी थी परन्तु भूप्रबंधक द्वारा संवत 2028 के राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जिसे खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। — जिम्मेवादी
2. आया वादी द्वारा वादपत्र में मनगढन्त तथ्य पेश किए हैं तथा किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। — जिम्मेप्रतिवादी

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2076–79 वाके ग्राम रैना, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व 2060 वाके ग्राम रैना, नकल जमाबंदी संवत 2011–21 वाके ग्राम रैना, नकल खसरा संवत 2011 से 2017 वाके ग्राम रैना, एवं मौखिक बयान के रूप में जगदीश पुत्र बलवीर, चन्द्रपाल पुत्र नेपाल सिंह, जाति जाट निवासी खटौटी व पूरनसिंह पुत्र करन सिंह जाति जाट निवासी रैना के पेश किए गए।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया तथा तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. आया वादी विवादित आराजीयात वादपत्र मद संख्या 02 की आराजी वादी के पिता व बाबा की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी थी परन्तु भूप्रबंधक द्वारा संवत 2028 के राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जिसे खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत हाल के खाता संख्या 194 के आराजी खसरा नंबर 833 रकबा 0.74 वाके ग्राम रैना पेश की गई जिस पर [illegible] के पिता बलवीर सिंह के पिता के नाम उक्त रकबा पर गैर खातेदारी का अंकन हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:55:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2. आया वादी द्वारा वादपत्र में मनगढन्त तथ्य पेश किए हैं तथा किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई।-- उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि वादीगण को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गई हो। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादी के पूर्वज संवत 2011 लगायम 2021 में खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड रहे हैं तथा संवत 2028 में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूप्रबंधक विभाग द्वारा गैर खातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है जो कि वर्तमान में भी बदस्तूर है। वादीगण लगातार गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चला आ रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी के पूर्वज विवादित आराजी पर खातेदार के रूप में दर्ज होकर काबिज काश्त थे। तथा वादी भी वर्तमान में विवादित आराजीयांत पर काबिज काश्त हैं। अतः वादी का वादपत्र काबिल डिक्री के है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 833 रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम रैना तहसील नदबई मे से वादीगणो को जमाबंन्दी के हिस्से अनुसार कुल 54/91 हिस्से का गैर खातेदारी के अंकन को कलमजन किया जाकर पर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

15/7/24
(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:55:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner